

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****दाण्डिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 211 वर्ष 2026****हेमराज गौतम**

..... आवेदक

बनाम**सचिव, गृह विभाग, सिविल सचिवालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य**

..... विरोधी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता : देवेन्द्र प्रताप, शशांक शेखर सिंह**विरोधी पक्षकार के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)**

न्यायालय संख्या - 11**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन, आवेदक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 215 वर्ष 2025, अन्तर्गत धारा 103(1), 3(5), 238(ए) भारतीय न्याय संहिता, थाना- रौनाही, जनपद- अयोध्या में, उसे जमानत पर अवमुक्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन यह हैं कि आवेदक निर्दोष व्यक्ति हैं तथा उसे प्रकरण में मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है, उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 12.07.2025 से कारागार में है। यह आगे निवेदन किया गया है कि आवेदक सह-अभियुक्त अश्वनी सिंह उर्फ मिर्ची के स्वामित्व वाले ई-रिक्शा का चालक है। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है, किन्तु आरोप पत्र केवल संस्वीकृति कथन तथा विवेचक द्वारा केस डायरी में किए गए कतिपय प्रेक्षणों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के मोबाइल की गैलरी में आहत के कुछ फोटोग्राफ पाए गए। यह प्रबल रूप से निवेदन किया गया है कि विवेचक द्वारा ऐसे फोटोग्राफों का कोई प्रिन्ट-आउट केस डायरी में संलग्न नहीं किया गया। अन्त में यह निवेदन किया गया है कि सह-अभियुक्त आक्रिब कुरैशी उर्फ मोहम्मद आक्रिब को इस न्यायालय द्वारा दाण्डिक विविध जमानत आवेदन संख्या 2460 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 07.04.2026 के माध्यम से पूर्व में ही जमानत पर अवमुक्त कर दिया गया है। इन परिस्थितियों में आवेदक भी जमानत का अधिकारी है। जमानत पर अवमुक्त किए जाने की दशा में वह जमानत की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सह-अभियुक्त आक्रिब कुरैशी उर्फ मोहम्मद आक्रिब के जमानत आदेश की छायाप्रति अभिलेख पर ली जाती है।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया तथा निवेदन किया कि पर्याप्त साक्ष्य संकलित करने के उपरान्त विवेचक द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह आगे निवेदन किया गया कि संस्वीकृति कथन में आवेदक की संलिप्तता पाई गई। तथापि, उन्होंने निष्पक्ष रूप से यह स्वीकार किया कि समान रूप से स्थित सह-अभियुक्त आक्रिब कुरैशी उर्फ मोहम्मद आक्रिब को पूर्व में ही जमानत प्रदान की जा चुकी है।

7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के प्रतिपक्षी निवेदनों, सह-अभियुक्त के साथ समानता (पैरिटी) के आधार पर विचार करते हुए तथा आवेदन, प्रति-शपथपत्र एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों की अन्तर्वस्तु का अवलोकन करते हुए, यह स्पष्ट है कि केस डायरी में यह उल्लिखित है कि सह-अभियुक्त अश्वनी सिंह उर्फ मिर्ची से बरामद मोबाइल की गैलरी में विवेचक द्वारा मृतक का

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आहत अवस्था में फोटोग्राफ पाया गया। तथापि, उक्त फोटोग्राफों का प्रिन्ट-आउट केस डायरी के साथ संलग्न नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, आवेदक की संलिप्तता संस्वीकृति कथन के आधार पर दर्शाई गई है। ऐसी परिस्थितियों में, मेरा मत है कि यह जमानत हेतु उपयुक्त प्रकरण है। आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. आवेदक- हेमराज गौतम को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 215 वर्ष 2025 में, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा उतनी ही राशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर अवमुक्त किया जाए :-

(i) आवेदक कोई ऐसा अपराध नहीं करेगा, जो उस अपराध के समान हो जिसका वह अभियुक्त है अथवा जिसके किए जाने का संदेह है।

(ii) आवेदक प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को, उसे ऐसे तथ्य न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत करने हेतु, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iii) आवेदक इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर, जब साक्षीगण न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं चाहेगा। इस शर्त के व्यतिक्रम की दशा में विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग मानकर विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर, स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की दशा में विचारण न्यायालय भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के अन्तर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अन्तर्गत विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(vi) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (क) वाद के प्रारम्भ, (ख) आरोप विरचन, तथा (ग) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अन्तर्गत कथन अभिलिखित किए जाने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति साशय अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला रहेगा कि वह ऐसे व्यतिक्रम को जमानत की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग मानकर विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करे।

9. उपरोक्त शर्तों का कोई भी उल्लंघन जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय जमानत निरस्तीकरण के सम्बन्ध में समुचित आदेश पारित करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

जून 8, 2026

वी.के.एस.

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।